राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई) के–300/2023/अलेसे–III/991 दिनांक :– 04.03.2026

आदेश संख्या :– 544 /2025–26

श्री कमल किशोर यादव पुत्र श्री चंदन सिंह यादव का कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती–2023 में कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 787669) के पद पर दिव्यांगता श्रेणी में चयन होने के उपरांत विभागीय आदेश संख्या 222/2024–25 दिनांक 11.01.2025 के द्वारा कोषालय, बारां में नियुक्ति प्रदान की गई। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 के विज्ञापन दिनांक 20.06.2023 के बिन्दु संख्या 13–डी के अनुसार **"ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते है, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण–पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा"**।

श्री कमल किशोर यादव (रोल नं. 787669) द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती–2023 के दस्तावेज सत्यापन के समय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र क्रमांक 20240718 दिनांक 18.07.2024 प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिव्यांगता का प्रतिशत 40 अंकित था।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस एटीएस एवं एसओजी, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्रांक 373 दिनांक 12.09.2025 द्वारा अवगत करवाया कि उनके द्वारा श्री कमल किशोर यादव (रोल नं. 787669) का सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड से दिनांक 30.07.2025 को दिव्यांगता का परीक्षण करवाया गया, जिसके रिपोर्ट क्रमांक 1410 दिनांक 31.07.2025 के अनुसार दिव्यांगता प्रतिशत 28 होना अवगत करवाते हुए श्री कमल किशोर यादव को दिव्यांगता श्रेणी में अयोग्य होने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुशंषा की गई। उक्तानुसार प्रकरण में प्रशासनिक विभाग की आई.डी. संख्या 252500245 दिनांक 11.11.2025 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में श्री कमल किशोर यादव को सुनवाई का मौका दिया गया। जिसके जवाब में श्री यादव ने एसओजी द्वारा करवाई गई मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में कोई नवीन तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। अतः श्री कमल किशोर यादव का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।

कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 के विज्ञापन दिनांक 20.06.2023 के बिन्दु संख्या 13–डी के अनुसार दिव्यांगता 28 प्रतिशत (40 प्रतिशत से कम) होने के कारण श्री कमल किशोर यादव (रोल नं. 787669) हाल पदस्थापन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शाहबाद (बारां) दिव्यांगता श्रेणी में कनिष्ठ लेखाकार पद की नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है।

उपरोक्तानुसार कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 के विज्ञापन दिनांक 20.06.2023 के बिन्दु संख्या 13–डी के अनुसार पात्र नहीं होने के कारण तथा कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस एटीएस एवं एसओजी, राजस्थान, जयपुर द्वारा श्री कमल किशोर यादव (रोल नं. 787669) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा किये जाने एवं प्रशासनिक विभाग की आई.डी. संख्या 252500245 दिनांक 11.11.2025 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में श्री कमल किशोर यादव पुत्र श्री चंदन सिंह यादव (रोल नं. 787669) हाल पदस्थापन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शाहबाद (बारां) को कनिष्ठ लेखाकार पद पर दिव्यांगता श्रेणी में अपात्र होने के कारण राजकीय सेवा से तुरन्त प्रभाव से पदच्युत किया जाता है।

4/3/2026
(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई) के–300/2023/अलेसे–III/991 दिनांक :– 04.03.2026

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस एटीएस एवं एसओजी, राजस्थान, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, बारां।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शाहबाद (बारां)।
5. वरिष्ठ निजि सचिव, निदेशक महोदया, कार्यालय हाजा।
6. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), कार्यालय हाजा।
7. श्री कमल किशोर यादव पुत्र श्री चंदन सिंह यादव (रोल नं. 787669) द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शाहबाद (बारां)।
8. रक्षित पत्रावली/ पदस्थापन सीट/ वरिष्ठता सीट/ गोपनीय अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक– II/III)